



संख्या-13/2024/510/77-6-24-6002(002)/4/2023

प्रेषक,

मनोज कुमार मौर्य,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग,
उद्योग निदेशालय, कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक 13/03/2024

विषय:- उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के अन्तर्गत औद्योगिक इकाईयों को स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति विषयक वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।
महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-501/औ0आ0-11/स्टाम्प/2023-24, दिनांक 23.05.2023 एवं पत्र संख्या-1393/औ0आ0अनु0-11/2023-24, दिनांक 14.12.2023, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के अंतर्गत औद्योगिक इकाईयों को स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उपर्युक्त प्रकरणों के सम्यक विचारोपरान्त निम्न विवरणानुसार औद्योगिक इकाईयों को उनके सम्मुख अंकित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है-

(धनराशि रुपये में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	स्टैम्प शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि रुपये में
1	मे0 आर0 के0 सर्जिकल्स , कानपुर देहात (लघु श्रेणी)	6,23,354.00
2	मे0 सिद्धीविनायक फेलेक्सी पैक , कानपुर नगर (लघु श्रेणी)	6,01,728.00
3	मे0 पशुपति पल्सेज , कानपुर नगर (लघु श्रेणी)	3,14,461.00
4	मे0 चोपड़ा रीटेक रबड़ प्रोडक्ट्स , लखनऊ (लघु श्रेणी)	12,01,500.00
5	मे0 एच0 आर0 इण्डस्ट्रीज , कानपुर देहात (लघु श्रेणी)	6,24,000.00
6	मे0 अवनी इण्टरप्राइजेज कानपुर देहात (लघु श्रेणी)	3,30,349.00
7	मे0 फुलआर्ट इण्डस्ट्रीज , अलीगढ़ (लघु श्रेणी)	1,05,255.00
8	मे0 राकेश इण्टरप्राइजेज , प्रतापगढ़ (लघु श्रेणी)	3,07,500.00
9	मे0 नोवोटेक्स प्रा0 लि0, अलीगढ़ (लघु श्रेणी)	3,16,125.00
10	मे0 माधव इण्टरप्राइजेज , कानपुर देहात (लघु श्रेणी)	5,38,105.00
11	मे0 गोपाल फूड प्रोडक्ट्स , मथुरा (लघु श्रेणी)	11,34,000.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

12	मे0 ब्राउन बेकरी एवं फूड प्रोडक्ट्स , लखनऊ	32,23,819.00
13	मे0 शंकर फेनेट्रेशन एण्ड ग्लास इण्डिया प्रा0 लि0, गाजियाबाद (लघु श्रेणी)	4,82,311.00
14	मे0 शंकर फेनेट्रेशन एण्ड ग्लास इण्डिया प्रा0 लि0, गाजियाबाद (लघु श्रेणी)	5,64,322.00
15	मे0 दुर्गा फिल्टर्स प्रा0 लि0, गाजियाबाद (लघु श्रेणी)	5,06,703.00
16	मे0 दुर्गा फिल्टर्स प्रा0 लि0, गाजियाबाद (लघु श्रेणी)	6,36,562.00
17	मे0 दुर्गा फिल्टर्स प्रा0 लि0, गाजियाबाद (लघु श्रेणी)	2,28,144.00
18	मे0 सिग्नेचर्स प्रिंटर्स , हापुड़ (लघु श्रेणी)	8,58,900.00
19	मे0 प्रभात प्रोटीन फूड्स , कानपुर देहात (लघु श्रेणी)	55,500.00
20	मे0 शगुन फूड प्रोडक्ट्स , ताजोपुर मऊ (लघु श्रेणी)	4,14,800.00
21	मे0 गोयल ग्लास वेयर प्रा0 लि0, फिरोजाबाद (लघु श्रेणी)	25,21,500.00
22	मे0 के0 एस0 एण्ड सन्स , फिरोजाबाद (लघु श्रेणी)	3,58,500.00
23	मे0 अनमोल एसोसिएट्स एण्ड मार्केटिंग कम्पनी , बरेली (लघु श्रेणी)	4,24,339.00
24	मे0 शनि कारपोरेशन लि0, बुलन्दशहर (लघु श्रेणी)	10,98,489.00
25	मे0 भारत टेक्स टाइल्स मिल्स , हापुड़ (लघु श्रेणी)	5,66,250.00
26	मे0 केदारनाथ इण्डस्ट्रीज , हरदोई (लघु श्रेणी)	11,82,000.00
27	मे0 मार्स सीमेन्ट वर्क्स लि0, चन्दौली (मध्यम श्रेणी)	12,67,869.00
28	मे0 अहमद मेटल वर्क्स , गोरखपुर (लघु श्रेणी)	1,00,300.00
29	मे0 युनिल इण्डिया प्रा0 लि0, गौतमबुद्धनगर (मध्यम श्रेणी)	26,82,550.00
30	मे0 ओ0 एम0 सर्जिकल इण्डस्ट्रीज , कानपुर देहात (लघु श्रेणी)	5,70,780.00
31	मे0 आर0 के0 स्नैक्स प्रा0 लि0, कानपुर देहात (लघु श्रेणी)	4,66,753.00
32	मे0 एन0 डब्ल्यू0 एफ0 पी0 इक्यूपमेण्ट प्रा0 लि0, कानपुर देहात (लघु श्रेणी)	12,32,025.00
33	मे0 आदित्य फेलेक्सी पैक प्रा0 लि0, कानपुर देहात (मध्यम श्रेणी)	80,59,684.00
34	मे0 मल्टी बॉक्स प्रा0 लि0, प्रयागराज (लघु श्रेणी)	12,60,000.00
35	मे0 आर0 एम0 पी0 एल0 इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0, बिजनौर (लघु श्रेणी)	13,92,086.00
36	मे0 एस0 एन0 पैकेजिंग सर्विसेज प्रा0 लि0, लखनऊ (लघु श्रेणी)	5,08,950.00
37	मे0 ओम राज फूड्स , कानपुर देहात (लघु श्रेणी)	22,55,625.00
	योग	3,90,15,138.00

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एतद्वारा उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में प्राविधानित धनराशि रुपये 375.00 करोड़ के सापेक्ष उपर्युक्तानुसार अंकित तालिका में लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्यमों को स्टाम्प शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु रु. **3,90,15,138.00** (रुपया तीन करोड़ नब्बे लाख पन्द्रह हजार एक सौ अड़तीस मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखने हेतु

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत धनराशि का भुगतान जिस इकाई को किया जाना है, उसके बैंक खाते में सीधे आर.टी.जी.एस./एन.एफ.टी. के माध्यम से अन्तरित की जाएगी।
 2. स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उत्तर प्रदेश द्वारा तत्काल शासन के औद्योगिक विकास विभाग अनुभाग-6/वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-4 एवं समस्त संबंधितों को उपलब्ध कराया जाएगा।
 3. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उत्तर प्रदेश द्वारा उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 में वर्णित प्राविधान एवं नीति 2017 के क्रियान्वयन हेतु निर्गत एस0ओ0पी0 के प्रस्तर-3 में वर्णित प्राविधान का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में वर्णित प्राविधानों शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन पात्र इकाइयों के संबंध में अपने स्तर से पात्रता के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कर लेंगे तथा यह सुनिश्चित कर लेंगे कि प्रस्तावित प्रोत्साहन धनराशि स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी प्रक्रियाओं/विधिक औपचारिकताओं का पालन कर लिया गया है।
 4. स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा।
 5. किसी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त बैंक खाते/अन्य किसी खाते में नहीं रखा जाएगा।
 6. स्वीकृत धनराशि का लेखा-जोखा आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उत्तर प्रदेश द्वारा रखा जाएगा।
 7. स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृत किया गया है।
 8. यह धनराशि उन पात्र इकाइयों को उपलब्ध करायी जाएगी, जो अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2017 तदुक्रम में निर्गत एस0ओ0पी0 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करती हो।
 9. स्वीकृत धनराशि का आहरण एक माह की आवश्यकतानुसार किया जाएगा। आवश्यकता का आंकलन आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाएगा।
 10. स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप दिनांक 17.03.2023 एवं अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
 11. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उत्तर प्रदेश स्वीकृत धनराशि आहरित करने से पूर्व इकाई की पात्रता एवं आंकड़ों की शुद्धता का परीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे।
- 3- इस संबंध में होने वाला व्यय रु. रु. **3,90,15,138.00** (रुपया तीन करोड़ नब्बे लाख पन्द्रह हजार एक सौ अड़तीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

007 लेखा शीर्षक 2885608002000 नई औद्योगिक नीति मानक मद 42 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किय जा रहे हैं।

भवदीय,
मनोज कुमार मौर्य
संयुक्त सचिव।

संख्या-13/2024/510(1)/77-6-24-6002(002)/4/2023.तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 2) अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3) प्रबंध निदेशक, पिकप।
- 4) निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
- 5) नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेंट, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- 6) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/4
- 8) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
- 9) नियोजन अनुभाग-1/4
- 10) औद्योगिक विकास अनुभाग-2
- 11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार मौर्य
संयुक्त सचिव।